

# उच्च न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर०ई०आर० केश सं०- 134 / 16-17  
सुशीला देवी वगै० बनाम् प्रमोद सोनार

## -: आदेश :-

वर्तमान वाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदिका सुशीला देवी, पति-श्रीलाल यादव, सा०-खुटहरी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-सिंगारपुर नं०-494, जमाबंदी नं०-16, दाग नं०-209, कुल रकवा-03-02-02 धूर जमीन के आंशिक हिस्सा 00-01-10 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-सिंगारपुर नं०-494, जमाबंदी नं०-16, दाग नं०-209, कुल रकवा-03-02-02 धूर जमीन के आंशिक हिस्सा 00-01-10 धूर जमीन पर विपक्षी जबरन पक्की निर्माण कार्य कर रहे हैं। मना करने पर गाली-गलौज, मार-पीट पर उतारू हो जाते हैं तथा विपक्षी का कहना है कि वे सीताराम यादव से उक्त जमीन खरीदे हुए हैं। आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज है। जमाबंदी रैयत बनवारी गोप अपने पिछे दो पुत्री, पोबिया देवी व पाचो देवी को छोड़कर फौत कर गये। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के पश्चात् अपने पिता की सम्पत्ति पर दोनों पुत्रियां दखलकार हुई और वर्णित जमीन पर जोत-आबाद करने लगी। मौखिक बटवारा के अनुसार स्व० पोबिया देवी के पति व पुत्री तथा स्व० पाचो देवी के पति व पुत्र दखलकार हुए। वर्तमान समय में विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन पर पक्की निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विपक्षी किसी भी रूप से जमाबंदी रैयत के वंशावली में नहीं आते हैं तथा बिल्कुल बाहरी व्यक्ति हैं। विपक्षी की मान्सा जबरन प्रश्नगत जमीन हड़पने की है तथा ताकत, पैसा व पैरवी के बल पर पक्की निर्माण कार्य करा रहे हैं। अंत में आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि से विपक्षी को संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

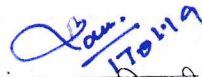
विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका द्वारा विपक्षी पर लाया गया वाद चलने योग्य नहीं है। विपक्षी को मकान बनाने हेतु आवेदिका के मौसरे भाई द्वारा आज से 30 वर्ष पूर्व विपक्षी को बसोवास के लिए दिया गया है और विपक्षी सपरिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। विपक्षी के मकान से आवेदिका का कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी को परेशान करने की नियत से आवेदिका झूठा मुकदमा करती रहती हैं। विपक्षी को दान पत्र के माध्यम से मकान बनाने हेतु जमीन दिया गया है, जिसमें विपक्षी वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। आवेदिका के हिस्से की जमीन आवेदकगण स्वयं बेच चुके हैं और लोभ में आकर विपक्षी से बराबर पैसे की मांग करते हैं। विपक्षी भूमिहीन व गरीब है तथा रहने के लिए आवेदिका के मौसरे भाई से थोड़ा जमीन लेकर ईंट का मकान बनाकर सपरिवार रह रहे हैं। अंत में विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदिका के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

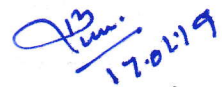
उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदिका जमाबंदी रैयत के वंशज हैं तथा विपक्षी बाहरी व्यक्ति हैं। विपक्षी द्वारा दिनांक-08.06.2015 का लेख्य प्रमाणक, गोड्डा द्वारा निर्गत एक

शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसे रैयती जमीन हस्तांतरण हेतु वैध कागजात नहीं माना जा सकता है। अतः संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 का उपयोग करते हुए वादगत भूमि से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है।

अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि पर जमाबंदी रैयत के वंशज को दखल दिलाकर न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

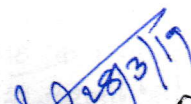
  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा।

28-03-19 अभिलेख उपस्थापित।

प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा,  
गौडा के ओ.बी.नं. - 139/विधि, दिनांक 14.03.2019  
के द्वारा उपस्थित गौडा के न्यायालय के कार्रवाई  
एम. ए. नं. - 61/2018-19 के क्रम में अभिलेख  
की मांग की गयी है।

अतः अभिलेख गैर है।

  
अनुमंडल पदाधिकारी  
महागामा

Seen  
Kam-pes

Seen  
Kam-pes

Seen  
Kam-pes